

प्रेस-विज्ञप्तिहत्या के फरार आरोपी पर 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा

गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के अमौडा गांव में 18 जनवरी की रात गोली मारकर की गई प्रधानपति मनीष राय की हत्या के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 10/21 धारा 147 ,148,149,506,352,302,34,120 बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया है। जिसमें अभियुक्त कृष्णा राय पुत्र गुरुप्रसाद राय उर्फ बेचू राय निवासी ग्राम अमौडा थाना गम्भीरपुर फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा आज दिनांक **06.02.2021** को **25 हजार रुपये का इनाम** घोषित किया गया है।

थाना- गम्भीरपुरनाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आपचारी किशोर गिरफ्तार

दिनांक 04.02.2021 को एक गाँव की महिला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना कि मेरी पोती जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। मेरी पोती को हमारे बगल गाँव का लड़का रामानन्द सरोज पुत्र लालमनी सरोज थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर गाँव के नहर पुलिया के पास ले जाकर उसके मर्जी के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाया और पोती को यह धमकी दिया कि यदि यह बात किसी को बतायेगी तो जान से मार देगे इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/21 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत आज दिनांक- 06.02.2021 को प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया मय उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में कस्बा गम्भीरपुर में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से संबंधित अपचारी थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 07.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अपराची किशोर उपरोक्त की गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकारी आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 24/21 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अपचारी किशोर –

1- आपचारी किशोर पुत्र लालमनी सरोज थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया मय हमराह, थाना- गम्भीरपुर, आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

01 वारंटी गिरफ्तार

आज दिनांक 06.01.2021 प्र०नि० श्रीमती ज्ञानू प्रिया महोदया के कुशल नेतृत्व में उ०नि० तारकेश्वर राय मय हमराह उ०नि० शेषनारायण सिंह व का० नौशाद अहमद के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में कस्बा गम्भीरपुर में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु०नं० 4457/2016 धारा 138 NI ACT से सम्बन्धित वारंटी अब्दुल मन्नान पुत्र अब्दुल कलाम ग्राम मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को उसके घर मुहम्मदपुर से को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना मुबारकपुर

01 नफर वारण्टी गिरफ्तार

आज दिनांक 06.02.2021 को उ०नि० श्री कमल नयन दुबे मय हमराह द्वारा अ.स.- 931/2009 धारा- 272 व 60 आबाकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त बालकिशुन पुत्र राजदेव निवासी सिकठी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को चौकी क्षेत्र कस्बा मुबारकपुर ग्राम सिकठी शाहमोहम्मदपुर से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

अ.स.-931/2009 धारा- 272 व 60 आबाकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

बालकिशुन पुत्र राजदेव निवासी सिकठी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ.नि. कमल नयन दुबे प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2. हे०का० विक्रमादित्य सिंह थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़